

**संख्या- 20 /2025/ 5154 /005-9-7099-173-2022**

प्रेषक,

**संजय कुमार तिवारी,**

अनु सचिव।

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**

स्थानीय निकाय निदेशालय,

उ0प्र0 लखनऊ।

**नगर विकास अनुभाग-7**

**लखनऊ : दिनांक 24 नवंबर, 2025**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना की गयी है। शासन द्वारा कांजी हाउस/ कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु समय-समय पर निकायों को अनुदान दिया जाता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत" उपलब्ध धनराशि में से निम्नलिखित 15 नगर निकायों में संचालित कांजी हाउस/ कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार कुल **₹ 386.33 (₹ तीन करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र.सं.	जनपद का नाम	निकाय का नाम	अवमुक्त की जा रही धनराशि की समयावधि	वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम छमाही हेतु ₹ 50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5
1	गाजियाबाद	नगर निगम, गाजियाबाद	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	172.20

2	शामली	नगर पालिका परिषद, शामली	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	18.75
3	बलिया	नगर पंचायत, बैरिया	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	3.11
4	हाथरस	नगर पालिका परिषद, हाथरस	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	15.55
5	कासगंज	नगर पंचायत, भरगैन	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	10.15
6	मथुरा	नगर पालिका परिषद, कोसीकलाँ	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	8.23
7	बाँदा	नगर पंचायत, बिसण्डा	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	18.75
8	उन्नाव	नगर पंचायत, मोहान	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	2.28
9	उन्नाव	नगर पंचायत, अचलगंज	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	26.62
10	प्रतापगढ़	नगर पंचायत, मानिकपुर	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	22.87
11	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, पुरकाजी	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	12.35
12	रायबरेली	नगर पंचायत, परशदेपुर	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	25.62
13	अम्बेडकर नगर	नगर पालिका परिषद, जलालपुर	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	8.23
14	हमीरपुर	नगर पालिका परिषद, राठ	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	27.90
15	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत, शोहरतगढ़	अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक	13.72
<b>कुल योग</b>				<b>386.33</b>

(₹ तीन करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार मात्र)

**नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों**

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

- (2) प्रश्नगत स्वीकृत जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
- (3) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत कराये।
- (4) सम्बन्धित नागर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों को क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (6) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे।
- (7) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय, सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।
- (9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक, नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।
- (12) नगरीय निकायों द्वारा पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक दशा में एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,86,33,000 ( रुपये तीन करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक

2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भक्तिसू  
Digitally signed by  
SANJAY KUMAR TIWARI  
Date: 24-11-2025  
18:00:36

(संजय कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

**संख्या-20/2025/5254(1) /005-9-7099-173-2022, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
7. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

**संजय कुमार तिवारी**

अनु सचिव।